

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.05.2024	<p style="text-align: center;"><b>मुकदमा संख्या 40/2022 राजस्व अपील किशोर बनाम सरकार</b></p> <p>अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलान्त किशोर गुर्जर पुत्र किशनलाल गुर्जर निवासी पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा की मृत्यु दिनांक 01.09.2023 को हो गई है, इसलिये अपीलान्त के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा की गई कार्यवाही को ड्रॉप फरमावे। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न अपीलान्त का मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश किया गया।</p> <p>राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि अपीलान्त की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन प्रकरण को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।</p> <p>उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न बेदखलीनामा, फसल नीलामी रिपोर्ट दिनांक 21.02.2022 के अनुसार तत्समय अतिक्रमी अपीलान्त को अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जा चुका था। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार स्पष्ट है कि अपीलान्त किशोर गुर्जर पुत्र किशनलाल गुर्जर निवासी पीपलकी तहसील सिकराय की मृत्यु दिनांक 01.09.2023 को हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा मुकदमा संख्या 302/2021 उनवान सरकार बनाम किशोर पुत्र किशनलाल गुर्जर निवासी पीपलकी तहसील सिकराय में अपीलान्त के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 28.01.2022 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">( सुमित्रा पारीक ) अति. जिला कलक्टर, दौसा</p>	

